कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 530/मुजफ्फरनगर/26409/2017, दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 06, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषयः मुजफ्फरनगर में उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन लि0 द्वारा 132 के0वी0 मुजफ्फरनगर–जानसठ लीलो भोपा (भोकरेहड़ी) पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1944 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–630/14–10, दि0 29.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु–2 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–51 एवं 52 पर सर्वे आफ इंडिया की मूल प्रति पर चिन्हांकन कर संलग्न नहीं किया गया है, जिस कारण भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.06.2018 द्वारा वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

अतः सर्वोच्च प्राथमिकता पर सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु–2 से सम्बन्धित वांछित सर्वे आफ इंडिया की मूल टोपोशीट पर **प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल** को चिन्हित कर व लीजेण्ड अंकित कर **तीन प्रति में** इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 530 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्राथमिकता पर वांछित सर्वे आफ इंडिया की मूल टोपोशीट पर प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल को चिन्हित कर व लीजेण्ड अंकित कर अपने वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कार्पो0 लि0, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, मुजफ्फरनगर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।